रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 1991/माघ 2, 1912
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 1991/MAGHA 2, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1991

सा. का. नि. 43 (अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) और धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 798 (अ) तारीख 30 नवम्बर, 1984 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—;

अनुसूची

(15 टन, या उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान)	प्रभार्य जलयान प्रति एन. आर. टी. पत्तन फीस की दर		एक जो जलयान की बाबत संदेय की आवृत्ति	
1	2	3	4	5
	विदेशी	तटीय	विदेशी जलयान	तटीय जलयान
पोत	2.40	1.70	प्रत्येक प्रवेश	तीस दिन में एक बार
स्टीमर	3.60	2.80	प्रत्येक प्रवेश	तीस दिन में एक बार
टग्स, लंच, बार्ज आदि जो ऊपर सम्मिलित नहीं है ।	1.00	—	प्रत्येक प्रवेश	तीस दिन में एक बार

2. अपवाद (ख) में, "अन्यथा वसूल किए जाने वाले पत्तन शुल्क के आधे से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, अनुसूचित दरों की 50 प्रतिशत होगी", शब्द रखे जाएंगे ।

3. अपवाद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

(घ) ऐसे जलयानों को, जो पत्तन के बाह्य लंगरगाह पर आते हैं और कर्मीदल ले जाने, भंडार और जल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पत्तन की सीमाओं के भीतर या बाहर लंगर डालते है, तथा किसी स्थोदा या यात्री को उतारे या चढ़ाए बिना उसे छोड़ देते हैं, अनुसूचित दरों के 25 प्रतिशत पर पत्तन फीस से प्रभारित किया जाएगा" ।

टिप्पण:—यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की समाप्ति के अगले दिन से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. पी. आर.-14012/19/90—पी. जी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल अधिनियम सा. का. नि. सं. 798(अ), तारीख 30 नवम्बर, 1984 द्वारा प्रकाशित हुआ था ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January 1991

G.S.R. 43 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 33 and section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. GSR No. 798 (E) dated 30th November, 1984, namely:—

In the said notification

(1) for the schedule, the following schedule shall be substituted namely:-

SCHEDULE

Vessels chargeable (sea going vessels of 15 tons and above)	Rate of Port dues per NRT			Frequency of payment in respect of the same vessel
1	2	3	4	5
	Foreign	Coastal	Foreign vessel	Coastal vessels
Ship	2.40	1.70	each entry	Once in thirty days
Steamers	3.60	2.80	each entry	Once in thirty days
Tugs, launches, barges, etc, not included above	1.00	...	each entry	Once in thirty days

(2) In Exceptions (b) for the words at a rate not exceeding half of the rate with which one would other-wise be chargeable" the figure and words "50% of the Scheduled rates" shall be substituted.

(3) after Exception(c) the following shall be added namely:-

(d) Vessels which call at the outer Anchorage of the Port and anchors within or beyond the port limits for the purpose of charging crew, receiving

stores and water, and without discharging of loading any cargo or passenger, shall be charged with port dues at 25% of the Scheduled rates".

Note:- It shall come into force with effect from the day following the expiry of 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. PR-14012/19/90-PG]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note: Principal Notification was published vide GSR No. 798(E) dated 30 November, 1984.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991